



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 अग्रहायण 1944 (श10)  
(सं0 पटना 1055) पटना, सोमवार, 5 दिसम्बर, 2022

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

26 अक्टूबर, 2022

एस० ओ० 486, दिनांक 5 दिसम्बर, 2022—बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम, 1996 (अधिनियम, 1997) के धारा 4 के उप धारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उक्त अधिनियम के धारा 4 के उप धारा 2 एवं 3 में किये प्रावधानों के अनुसार बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन निम्नरूपेण करते हैं:—

- |   |   |   |                           |
|---|---|---|---------------------------|
| (1)                                     | डॉ चक्रपानि हिमांशु,<br>ग्राम—श्री रामपुर, पोस्ट+थाना,<br>अकबर नगर, प्रखंड—सुलतानगंज,<br>जिला—भागलपुर | — | अध्यक्ष                   |
| (2)                                     | श्री राजीव कांत मिश्रा,<br>भीखनपुर, गुमटी नं०-3, भागलपुर  | — | उपाध्यक्ष                 |
| <b>बिहार विधान मंडल के मनोनीत सदस्य</b> |   |   |                           |
| (3)                                     | श्री अचमित ऋषिदेव,<br>रानीगंज   | — | सदस्य, बिहार विधान सभा    |
| (4)                                     | श्रीमती रेखा देवी,<br>मसौढ़ी  | — | सदस्या, बिहार विधान सभा   |
| (5)                                     | श्री आनंद शंकर सिंह,<br>औरंगाबाद  | — | सदस्य, बिहार विधान सभा    |
| (6)                                     | श्री सौरभ कुमार,  | — | सदस्य, बिहार विधान परिषद् |
| (7)                                     | श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह   | — | सदस्य, बिहार विधान परिषद् |

## विभिन्न हितों/वर्गों के प्रतिनिधिगण

- |      |   |   |  |
|------|---|---|--|
| (8)  | अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि,           | — | सदस्य (नियोजक के प्रतिनिधि के रूप में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि) |
| (9)  | श्री गजनफर नवाब, बिहार स्टेट कमिटी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, काँग्रेस, पटना। | — | सदस्य (श्रमिक संघ के प्रतिनिधि)  |
| (10) | श्री राफे एजाज हुसैन, सेभ द चिल्ड्रेन   | — | सदस्य (बाल श्रमिक के कल्याण में लगे गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि)         |
| (11) | श्री आनंदी मेहता, ग्राम+पोस्ट-शारदा नगर वार्ड नं०-20, सहरसा                   | — | सदस्य (अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि)                                    |
| (12) | श्री शाहिद जमाल, टाउन थाना चौक, हाजीपुर टाउन वैशाली-844101                    | — | सदस्य (अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि)  |

## पदेन सदस्य

- |      |  |   |       |
|------|--|---|-------|
| (13) | श्रमायुक्त, बिहार, पटना  | — | सदस्य |
| (14) | निदेशक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना। | — | सदस्य |
| (15) | संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।                            | — | सदस्य |
| (16) | संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।                    | — | सदस्य |
| (17) | निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना।                              | — | सदस्य |
| (18) | मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना।                               | — | सदस्य |
| (19) | निदेशक, समाज कल्याण, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।               | — | सदस्य |
| (20) | निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, पटना।                                    | — | सदस्य |
| (21) | निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।                      | — | सदस्य |
| (22) | निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।                     | — | सदस्य |

2. आयोग का मुख्यालय पटना में रहेगा।

3. आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/मनोनीत सदस्यों की पदावधि, प्रभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष तक के लिए होगी।

4. आयोग "बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग" अधिनियम, 1996 की धारा 7 में उल्लेखित कार्यों का निष्पादन करेगा। आयोग अपने कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन अधिनियम की धारा 12 के अनुसार सरकार को देगी।

(सं० 1/सी०एल०सी०-1019/99 (खंड) श्र०सं०-4175)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

गजेन्द्र कुमार मिश्रा,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1055-571+200-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>